**भारत सरकार**

**कारपोरेट कार्य मंत्रालय**

**लोकसभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या. 1701**

**(जिसका उत्तर सोमवार, 31 जुलाई, 2023/9 श्रावण, 1945 (शक) को दिया गया)**

**अनुसूचित जनजातियों के लिए अधिदेशित सीएसआर के अंतर्गत व्यय की गई राशि**

**1701. श्रीमती रक्षा निखिल खाडसेः**

**श्री मनोज कोटकः**

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास आज की तिथि तक अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत खर्च की गई राशि का पृथक ब्यौरा है;

(ख) यदि हां, तो विशेषकर महाराष्ट्र के संबंध में तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार जनजातीय क्षेत्रों के विकास हेतु खर्च करने के लिए कुछ सीएसआर राशि विनिर्दिष्ट करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री**

**(राव इंद्रजीत सिंह)**

**(क):** जी, नहीं।

**(ख):** प्रश्न नहीं उठता। तथापि, कंपनीवार, राज्यवार, जिलावार और क्षेत्रवार आंकड़ों सहित एमसीए21 रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा फाइल किए गए सीएसआर से संबंधित सभी आंकड़ें पब्लिक डोमेन में www.csr.gov.in पर उपलब्ध हैं।

**(ग) और (घ):** इस अधिनियम के तहत, सीएसआर एक बोर्ड संचालित प्रक्रिया है और कंपनी बोर्ड को अपनी सीएसआर समिति की सिफारिश के आधार पर सीएसआर कार्यकलापों की योजना बनाने, उस पर निर्णय लेने तथा उसकी निगरानी करने का अधिकार है। सीएसआर अधिदेशित कंपनियां अधिनियम और कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 में अंतर्विष्ट प्रावधानों की पूर्ति के आधार पर अनुसूची VII में उल्लिखित कोई भी कार्यकलाप प्रारंभ कर सकती हैं। सरकार किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में अथवा कार्यकलाप पर व्यय करने के लिए कंपनियों को कोई विशेष निदेश जारी नहीं करती है।

*****